भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

सं. भाविप्राईडीसीएए/2019/रोलआउट/परिपत्र/1 13 नवंबर, 2019

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी क्षेत्र/ पश्चिम क्षेत्र/ पूर्वी क्षेत्र
दक्षिणी क्षेत्र/ उत्तर पूर्वी क्षेत्र

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उड़ान निरीक्षण एकक / रेडियो निर्माण एवं विकास एकक

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
ने.सु.च.बो. हवाईअड्डा/चेन्नई हवाई अड्डा

निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो/बी एवं यांत्रिक कार्यशाला

प्राचार्य
सीएटीसी प्रयागराज

भाविप्रा ईडीसीएएस परिपत्र सं. 1/ 2019

विषय : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी की निर्धारित संरक्षण पेंशन योजना (भाविप्राईडीसीएएस) दिनांक 15 नवंबर 2019 से लागू करने के संबंध में ।

1. **परिचय**

भाविप्रा ने दिनांक 26.02.2018 के पत्र संख्या एवी-24032/578/2015-एएआई-एमओसीए के माध्यम से जारी एमओसीए के अध्यक्षीय निर्देशों के संदर्भ में दिनांक 07.06.2018 और 23.03 2019 के chrm परिपत्र के माध्यम से एएआई ईडीसीपीएस नामक सेवानिवृत्ति लाभ योजना को मंजूरी दी थी। डीपीई द्वारा अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.11.2018, 02.04.2009, 21.05.2014 और 03.08.2017 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देश/निर्देश (महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग के तहत एएआई ईडीसीपीएस लिंक के रूप में एएआई वेबसाइट में उपलब्ध)

2. **योजना की प्रभावी तिथि-** जैसा कि उपरोक्त खंड 1.1 में निर्धारित है, योजना 1 जनवरी, 2007 से प्रभावी है।

3. दिनांक 31.03.2019 को भाविप्रा मानव संसाधन निदेशालय द्वारा साझा की गई भाविप्रा ईडीसीएएस के लिए पात्र भाविप्रा कर्मचारियों की अनंतिम सूची अनुलग्नक 'क' में संलग्न है। किसी भी विसंगति के लिए कृपया संबंधित इकाई के मानव संसाधन विभाग को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें जहां सेवा पुस्तिका का रखरखाव किया जाता है। क्षेत्रों में मानव संसाधन निदेशालय भी सूची की जांच कर सकता है और निगमित मुख्यालय मानव संसाधन नोडल अधिकारी को किसी भी परिवर्तन / संपादन अनुरोध के लिए अग्रेषित किया जा सकता है।

4. भाविप्रा ईडीसीएएस योजना में योगदान

4.1 योजना के तहत भाविप्रा का योगदान भाविप्रा ईडीसीएएस ट्रस्ट को निम्नलिखित दरों पर किया जाएगा:-

4.1.1. नि.मु मानव संसाधन विभाग के दिनांक 07.06.2018 के परिपत्र द्वारा निर्धारित 01.01.2007 से 31.12.2016 तक की अवधि के लिए प्रारंभिक अंशदान मूल वेतन के 10% + महंगाई भत्ता के 10% की दर से किया गया है।

4.1.2. तत्पश्चात 01.01.2017 से 31.03.2019 तक अंशदान मूल वेतन के 10% + महंगाई भत्ता के 10% की दर से भाविप्रा के अंशदान को भाविप्रा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है।

4.1.3. योजना में नियोक्ता का योगदान वित्तीय वर्ष 2019-20 से सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख तक मूल वेतन + महंगाई भत्ता का प्रतिशत होगा। यह प्रतिशत सामर्थ्य, भुगतान करने की क्षमता और स्थिरता जैसे कारकों के आधार पर समय-समय पर भाविप्रा द्वारा तय और अधिसूचित किया जाएगा।

4.1.4. हकदार कर्मचारियों के दिनांक 30.09.2019 तक के अंश शेष कार्ड संबंधित क्षेत्रों में दिनांक 30.11.2019 से उपलब्ध होगा। किसी भी विसंगति के मामले में भाविप्रा कर्मचारी संबंधित क्षेत्र में गठित अपने संबंधित नोडल अधिकारियों/समिति से संपर्क कर सकते हैं।

4.1.5. अलग किए गए कर्मचारियों को विवरण सत्यापित करने, शिकायत करने और वार्षिकी फॉर्म संसाधित करने और इसका समाधान ढूँढने के लिए 15 दिनों का समय उपलब्ध होगा।

4.1.6. कॉर्पस की करदेयता - आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित छूट सीमा के ऊपर अंशदान कर्मचारियों के लिए अनुलाभ के रूप में कर योग्य होगा। क्षेत्र यह सुनिश्चित करें कि सभी पृथक कर्मचारियों के संबंध में भी पैन नंबर ईआरपी-एसएपी में उपलब्ध है।

4.1.7. कॉर्पस पर ब्याज के लिए भाविप्रा अंशदान के संबंध में मामला उठाया जा रहा है और आवश्यक सूचना अलग से उपलब्ध कराया जाएगा।

5. <u>**योजना के तहत लाभ**</u>

5.1 पात्र पृथक कर्मचारी उसके द्वारा चुनी गई वार्षिकी योजना के अनुसार कर्मचारी के संचित कोष के आधार पर वार्षिकी के लिए पात्र हैं।

5.2 वार्षिकी की खरीद हेतु ईडीसीपी ट्रस्ट के साथ निम्नलिखित वार्षिकी सेवाएं सूचीबद्ध है:-

-भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
-एचडीएफसी जीवन बीमा निगम
-स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जीवन बीमा निगम
-बजाज अलाएंज जीवन बीमा निगम

5.3 भाविप्रा ईडीसीपी ट्रस्ट द्वारा अपने सदस्यों/लाभार्थियों के लिए वार्षिकी की खरीद के लिए एएसपी की समूह पेंशन योजना के साथ एक मास्टर पॉलिसी में भाग लेंगे।

5.4 <u>**वार्षिकी विकल्पों का अवलोकन :-**</u>

1<u>**. जीवन के लिए वार्षिकी**</u>

- वार्षिकी वार्षिकीदार के जीवन के लिए एक समान दर पर देय होगा।
- वार्षिकीदार की मृत्यु पर, वार्षिकी भुगतान समाप्त हो जाएगा और आगे कोई राशि देय नहीं होगी।

<u>**2.मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के लिए जीवन के लिए वार्षिकी।**</u>

- वार्षिकीदार के जीवन के लिए एक समान दर पर देय होगा।
- वार्षिकीदार की मृत्यु पर, वार्षिकी भुगतान बंद हो जाएगा और खरीद मूल्य का 100% (सांविधिक लेवी का शुद्ध) वार्षिकीदार के नामांकित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।

<u>**3.माध्यमिक वार्षिकी के लिए 100% वार्षिकी के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी**</u>

- वार्षिकीदार के जीवन के लिए एक समान दर पर देय होगा।
- प्राथमिक वार्षिकीदार की मृत्यु पर, द्वितीयक वार्षिकीधारक को जीवन भर मूल वार्षिकी का 100% प्राप्त होगा।
- अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति को खरीद मूल्य वापस नहीं किया जाता है।

<u>**4.नामांकित को खरीद मूल्य पर रिटर्न के साथ वार्षिकीदार की मृत्यु पर पति या पत्नी को 100% वार्षिकी के साथ जीवन के लिए वार्षिकी।**</u>

- वार्षिकीदार के जीवन के लिए एक समान दर पर देय होगा।
- प्राथमिक वार्षिकीदार की मृत्यु पर, द्वितीय वार्षिकीधारक को जीवन भर मूल वार्षिकी का 100% प्राप्त होगा।

- अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर, खरीद मूल्य का 100% नामांकित व्यक्ति को वापस कर दिया जाता है।

वार्षिकी सेवा प्रदाता-वार एएसपी द्वारा साझा की गई वार्षिकी योजनाओं का पूरा विवरण भाविप्रा वेबसाइट में महत्वपूर्ण लिंक अनुभाग के तहत भाविप्रा ईडीसीपीएस लिंक के रूप में उपलब्ध है।

<u>6.वार्षिकी फॉर्म आवेदन की प्रक्रिया:-</u>

भाविप्रा ईडीसीपीएस लिंक एएसपी, योजनाओं, पेंशन कैलकुलेटर, एएसपी के नोडल अधिकारियों, भाविप्रा नि.मु नोडल अधिकारियों / क्षेत्रीय नोडल अधिकारी / एसएयू नोडल अधिकारियों का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

<u>6.2 अलग किए गए कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त वार्षिकी योजना का चयन करें। एक बार चुनने के बाद यह अंतिम होगा और बाद में किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।</u>

6.3 पात्र पृथक कर्मचारी/नामित व्यक्ति को इस लिंक से वार्षिकी प्रपत्र डाउनलोड करना अपेक्षित है और भरने के बाद उस पर हस्ताक्षर करना है और सहायक दस्तावेजों के साथ इसे एसएयू/क्षेत्र के संबंधित नोडल अधिकारी (एचआर डीटीई) के पास जमा करना चाहिए।

6.4 निम्नलिखित सहायक दस्तावेजों को नोडल अधिकारी (एचआर डीटीई) को भरे हुए और हस्ताक्षरित वार्षिकी फॉर्म के साथ जमा करने की आवश्यकता है: -

वार्षिकी योजना चयनित - विभिन्न विकल्पों के तहत प्रति वार्षिकी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

- जीवन के लिए वार्षिकी - दावा प्रपत्र की चार प्रतियाँ (मूल रूप में)
  भाविप्रा पहचान पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी
  अंतिम वेतन पर्ची की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राथमिक वार्षिकी कर्ता के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राइमरी वार्षिकीदार के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  रद्द किया गया चेक (वार्षिकीदार का मुद्रित नाम)
  प्राथमिक वार्षिकीदार का फोटो
- खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी - दावा प्रपत्र की चार प्रतियाँ (मूल रूप में)
  भाविप्रा पहचान पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी
  अंतिम वेतन पर्ची की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राथमिक वार्षिकी कर्ता के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राइमरी वार्षिकीदार के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  रद्द किया गया चेक (वार्षिकीदार का मुद्रित नाम)
  प्राथमिक वार्षिकीदार का फोटो

- संयुक्त जीवन वार्षिकी - दावा प्रपत्र की चार प्रतियाँ (मूल रूप में)
  भाविप्रा पहचान पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी
  अंतिम वेतन पर्ची की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राथमिक वार्षिकी कर्ता के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राइमरी वार्षिकीदार के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  रद्द किया गया चेक (वार्षिकीदार का मुद्रित नाम)
  प्राथमिक वार्षिकीदार की फोटो
- खरीद मूल्य की वापसी के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी -दावा प्रपत्र की चार प्रतियाँ (मूल रूप में)
  भाविप्रा पहचान पत्र की स्वप्रमाणित कॉपी
  अंतिम वेतन पर्ची की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राथमिक वार्षिकी कर्ता के पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  प्राइमरी वार्षिकीदार के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति
  रद्द किया गया चेक (वार्षिकीदार का मुद्रित नाम)
  प्राथमिक वार्षिकीदार की फोटो

6.5 नि.मु को मामला अग्रेषित करने से पहले क्षेत्रीय स्तर पर सहायक दस्तावेज के साथ वार्षिकी प्रपत्रों का निम्नलिखित सत्यापन किया जाएगा:-

1.5.1 मानव संसाधन निदेशालय ईडीसीपी योजना के संबंध में कर्मचारी की पात्रता को सत्यापित और प्रमाणित करेगा। संपूर्ण कर्मचारी मास्टर डेटा विवरण जैसे कर्मचारी आईडी नाम, जन्म तिथि, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्य छोड़ने का कारण, पता, पति या पत्नी का विवरण, नामांकित विवरण, पैन नंबर आधार संख्या, मोबाइल नंबर, ई-मेल आदि

6.5.2 वित्त विभाग अलग किए गए कर्मचारी/लाभार्थी के संबंध में फॉर्म में प्रदर्शित बैंक विवरणों का सत्यापन करेगा।

6.5.3 एसएयू से प्राप्त वार्षिकी दावा प्रपत्रों को नि.मु को अग्रेषित करने से पहले क्षेत्रीय स्तर पर सत्यापित और अनुमोदित किया जाएगा।

6.6 क्षेत्र, सदस्य/लाभार्थियों की समेकित सूची को नि.मु-मा.सं को अग्रेषित करेगा, जो औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा और उसके बाद सूची को दस्तावेज़ के साथ भा.वि.प्रा ईडीसीपी ट्रस्ट को भेजा जाएगा। निधि प्रबंधकों से निधि का दावा किया जाएगा और इस राशि को वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को एएसपी सदस्य/लाभार्थी के विकल्प के अनुसार वार्षिकी की खरीद के लिए हस्तांतरित किया जाएगा।

6.7 नोडल अधिकारियों द्वारा एकत्र किए गए सहायक दस्तावेजों के साथ वार्षिकी विकल्प फॉर्म संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को अग्रेषित किया जाएगा, व्यक्तिगत सेवानिवृत्त लोगों को पॉलिसी दस्तावेज भेजा जाएगा।

6.8 योजना के तहत नामांकन के अभाव में कर्मचारी द्वारा ईपीएफ योजना के तहत किया गया नामांकन मान्य होगा।

7. योजना दिनांक 15 नवंबर 2019 से प्रारंभ किया जाएगा। क्षेत्रों से अनुरोध किया जाता है कि सभी अलग किए गए कर्मचारियों को फॉर्म भरने और आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने के लिए निर्देश दिया जाए जैसा कि उपर्युक्त बिन्दु 6.4 में उल्लेख किया गया है।

8. इन दस्तावेजों के प्राप्त होने पर सेवा पुस्तक आदि के साथ आवश्यक सत्यापन किया जाना चाहिए और सभी प्रपत्रों का सत्यापन किया जाना चाहिए तथा दस्तावेजों के साथ नि.मु-मा.सं-ईडीसीपी टीम को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद और ईडीसीपी सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हुए दस्तावेजों को आगे की कार्रवाई के लिए भाविप्रा ईडीसीपी ट्रस्ट को अग्रेषित किया जाए।

9. संक्षिप्त चार्ट (अनुलग्नक ख) भाविप्रा कर्मचारियों, क्षेत्रीय टीम के साथ-साथ विभिन्न भाविप्रा मानव संसाधन परिपत्रों के अनुसार अयोग्यता शर्तों का संक्षिप्त सारांश जानकारी के लिए संलग्न है।

संलग्नक : यथोपरि

वितरण:

- उप महाप्रबंधक (ईएस) - अध्यक्ष
- उप महाप्रबंधक (ईएस) सदस्य (मानव संसाधन/वित्त/प्रचालन/योजना/वायु दिकचालन सेवा) / मुख्य सतर्कता अधिकारी
- कार्यपालक निदेशक (वित्त)-II / कार्यपालक निदेशक (वित्त)-I / कार्यपालक निदेशक (मा.सं) / कार्यपालक निदेशक (प्रशासन)
- महा प्रबन्धक सू.प्रौ -भाविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु। / सभी महाप्रबंधक (मा.सं)
- महासचिव - एएआईओए (आई) /एटीसी (गिल्ड) / भाविप्रा अभियांत्रिकी गिल्ड आईओ/ आईएएआईओए /एएईयु / भाविप्रा अनुजाती/ जनजाती एसोसियेशन।

अनुलग्नक ख

<u>कर्मचारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का सारांश</u>

- जाँच करें कि नाम पात्र कर्मचारी की सूची में दिखाई दे रहा है।
- यदि हाँ तो संबंधित क्षेत्र से ईडीपीएस कॉर्पस कार्ड प्राप्त करें।
    - ➢ यदि कर्मचारी अलग हो गया है अर्थात सेवानिवृत्त/मृत्यु आदि तो क्षेत्रीय नोडल टीम को दस्तावेजों के साथ वार्षिकी फॉर्म जमा करें। नि.मु-ईआरपी-एसएपी कर्मचारी कोड, पैन नंबर और पीएफ आईडी के बिना फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
    - ➢ यदि कर्मचारी अभी भी सेवारत है तो आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

- यदि पात्रता सूची में नाम और पीएफ आईडी नहीं दीख्ख रहा है।

➢ किसी भी विसंगति के मामले में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ स्थानीय मानव संसाधन टीम को अभ्यावेदन करें। यदि क्षेत्रीय मानव संसाधन विभाग द्वारा अभ्यावेदन वास्तविक पाया जाता है तो ईडीएस सॉफ्टवेयर में अद्यतन के लिए दस्तावेजों को निगमित मुख्यालय, मानव संसाधन विभाग को अग्रेषित करें।

➢ अन्यथा कर्मचारी की ओर से आगे की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

<u>मानव संसाधन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का सारांश</u>

1. क्षेत्र में ईडीसीपी पात्र कर्मचारी की सूची काम करने के आधार पर होगा।
2. क्षेत्र सूची का सत्यापन करेगा और किसी भी बदलाव अनुरोध को नि.मु, मा.सं नोडल अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

- यदि कर्मचारी का नाम और पीएफ आईडी सूची में दिखाई दे रहा है तो अलग किए गए पात्र कर्मचारी (केवल) से अपेक्षित दस्तावेजों के साथ वार्षिकी फॉर्म जमा करें। साथ ही अलग और सेवारत दोनों कर्मचारियों को ईडीसीपी कॉर्पस कार्ड जारी करें।
    - ➢ वार्षिकी फॉर्म और सहायक दस्तावेजों की जांच की जा सकती है और ईडीसीपी योजना के लिए पात्रता की पुष्टि की जा सकती है। कर्मचारी के मास्टर डेटा के अलावा, पति या पत्नी और नामित का विवरण को सत्यापित और प्रमाणित किया जाए। नि.मु आवेदक/लाभार्थी के क्षेत्र, ईआरपी-एसएपी कर्मचारी कोड, पैन नंबर, पीएफ आईडी द्वारा आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा।
    - ➢ यदि कर्मचारी अभी भी सेवारत है तो आगे किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

- यदि पात्रता सूची में नाम और पीएफ आईडी नहीं आ रहा है और कर्मचारी ने सुधार के लिए अभ्यावेदन दायर किया है तो ऐसे मामले में सेवा पुस्तिका आदि में प्रदर्शित कर्मचारी डेटा की

जाँच ईडीसीपी पात्रता शर्त के माध्यम से किया जा सकता है। यदि कर्मचारी का तर्क सही है, तो प्रमाणित दस्तावेज के साथ सटीक सिफारिश को ईडीपीएस सॉफ्टवेयर में सुधार के लिए नि.मु, मा.सं टीम को अग्रेषित किया जा सकता है।

- यदि नि.मु, मा.सं कर्मचारियों का नाम पात्र कर्मचारी सूची में जोड़ता है तो विलग कर्मचारी के मामले में वार्षिकी फॉर्म स्वीकार किया जा सकता है। साथ ही विलग और सेवारत कर्मचारी दोनों ही मामलों में कॉर्पस कार्ड जारी किया जा सकता है।
- अन्यथा क्षेत्र की ओर से किसी और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

भाविप्रा कर्मचारियों को ईडीसीपी योजना के लिए अयोग्य ठहराने वाली शर्तें

- निम्नलिखित भाविप्रा कर्मचारी विभिन्न मानव संसाधन परिपत्रों के अनुसार ईडीसीपी योजना केलिए अयोग्य हैं।
- विलग होने का कारण - यदि दिनांक 01.01.2007 से 02.08.2017 तक सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों के लिए सीपीएसई में 15 वर्ष से कम की सेवा है।
- सीएडी पेंशन का विकल्प।
- विलग होने का कारण - समाप्ति, पदच्युति, अनुशासनात्मक कार्यवाई, या अचानक गायब होने के कारण (लापता), सीआरएस।
- विलग होने का कारण - इस्तीफा
- वीआरएस/वीएसएस के मामले - 50 साल से पहले वीआरएस लेने वाले अधिकारी
- भाविप्रा में प्रतिनियुक्ति पर आ रहे कर्मचारी

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ

भाविप्रा द्वारा अनुमोदित वार्षिकी विकल्प

वार्षिकी खरीद कर सेवानिवृत्ति पर संचित निधि को स्थिर और आवधिक आय में परिवर्तित करने की व्यवस्था।

- **एकल वार्षिकी**

1. जीवन वार्षिकी

2. कॉर्पस की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी

- **संयुक्त और उत्तरजीवी वार्षिकी**

1. संयुक्त जीवन (अंतिम उत्तरजीवी) वार्षिकी (50% या 100%)
2. संयुक्त जीवन (अंतिम उत्तरजीवी) कॉर्पस की वापसी के साथ वार्षिकी

विकल्प 1 - जीवन वार्षिकी

1. वार्षिकी वार्षिकीदार के पूरे जीवन काल में एक स्थिर दर पर देय है।
2. कोई मृत्यु लाभ देय नहीं है।

विकल्प 2 - जीवन वार्षिकी खरीद मूल्य / कॉर्पस की वापसी के साथ

1. वार्षिकी वार्षिकीदार के पूरे जीवन काल में एक स्थिर दर पर देय है।
2. वार्षिकीदार की मृत्यु पर, वार्षिकीदार का वार्षिकी खरीद मूल्य नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त देय होता है।

विकल्प 3 - संयुक्त जीवन (अंतिम उत्तरजीवी) वार्षिकी

1. वार्षिकी वार्षिकीदार के पूरे जीवन काल में एक स्थिर दर पर देय है।
2. यदि वार्षिकीदार का जीवनसाथी उसके मृत्यु के पश्चात जीवित रहता है, तो उसे उसके बाद एक जीवन वार्षिकी प्राप्त होगी, जो कि वार्षिकीदार को भुगतान की गई अंतिम वार्षिकी राशि का 100% या 50% होगा।
3. अंतिम वार्षिकी कर्ता की मृत्यु होने पर कोई मृत्यु लाभ देय नहीं है।

विकल्प 4 - कॉर्पस की वापसी के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी

1. विकल्प 6 के समान ही लाभ। इसके अलावा, अंतिम वार्षिकी धारक की मृत्यु पर, नामांकित व्यक्ति को वार्षिकी खरीद मूल्य एकमुश्त देय होगा।

<u>बजाज अलायंज़</u>

भाविप्रा कर्मचारियों के लिए समूह वार्षिकी

<u>समूह वार्षिकी क्या है</u>

1. वार्षिकी एक निवेश उत्पाद है जो सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करने के लिए बीमा कंपनियों की ओर से पेश किया जाता है।
2. पेंशन की राशि निहित होने के समय परिभाषित अंशदान के तहत अग्रिम रूप से तय की गई राशि है।
3. व्यक्ति को, अपर पेंशन प्राप्त करने के लिए स्वयं का अतिरिक्त धन लगाने की अनुमति है।

<u>कर्मचारियों के लिए वार्षिकी का प्रकार</u>

तत्काल वार्षिकी- निहित होने पर तुरंत पेंशन/वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा। निम्नलिखित में से कोई भी विकल्प चुन सकता है।

1. जीवन वार्षिकी
2. खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी
3. खरीद मूल्य की वापसी के साथ संयुक्त जीवन (अंतिम उत्तरजीवी) वार्षिकी।
4. अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ संयुक्त जीवन अंतिम उत्तरजीवी (पति/पत्नी को वार्षिकी का 100%)

जीवन वार्षिकी

1. प्राथमिक सदस्य को वार्षिकी का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक वह जीवित रहता है।
2. प्राथमिक सदस्य की मृत्यु होने पर, मृत्यु की तारीख को किसी भी बकाया वार्षिकी किश्तों का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी।

1. प्राथमिक सदस्य को वार्षिकी का भुगतान तब तक किया जाता है जब तक वह जीवित रहता है।

2. प्राथमिक सदस्य की मृत्यु पर, खरीद मूल्य और मृत्यु की तारीख को किसी भी बकाया वार्षिकी किश्तों का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।
3. यदि यह विकल्प चुना जाता है, तो समूह स्थगित पेंशन योजना के नामित/सदस्यों/कानूनी-उत्तराधिकारियों के लिए उपलब्ध आय को अधिनियम/विनियमों द्वारा परिभाषित न्यूनतम वार्षिकी किस्त के अधीन न्यूनतम खरीद मूल्य पर ध्यान दिए बिना वार्षिकी में परिवर्तित किया जाएगा। (समय-समय पर संशोधित)।

जीवनसाथी को 100% वार्षिकी के साथ संयुक्त जीवन अंतिम उत्तरजीवी

1. प्राथमिक सदस्य और उसके पति/पत्नी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं।
2. वार्षिकी का भुगतान प्राथमिक सदस्य या पति या पत्नी को तब तक किया जाता है जब तक उनमें से कम से कम एक जीवित रहता है।
3. प्राथमिक सदस्य की मृत्यु पर, खरीद मूल्य और मृत्यु की तारीख को किसी भी बकाया वार्षिकी किश्तों का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर खरीद मूल्य की वापसी के साथ संयुक्त जीवन अंतिम उत्तरजीवी (पति/पत्नी को वार्षिकी का 100%)

1. प्राथमिक सदस्य और उसके पति/पत्नी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं।
2. वार्षिकी का भुगतान प्राथमिक सदस्य या पति या पत्नी को तब तक किया जाता है जब तक उनमें से कम से कम एक जीवित रहता है।
3. अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु पर, खरीद मूल्य और मृत्यु की तारीख को किसी भी बकाया वार्षिकी किश्तों का भुगतान नामित/कानूनी उत्तराधिकारी को किया जाएगा।

बजाज आलियांज समूह वार्षिकी - पात्रता

1. न्यूनतम प्रवेश आयु- सभी विकल्पों के लिए न्यूनतम प्रवेश आयु 40 वर्ष है
2. अधिकतम प्रवेश आयु - सभी विकल्पों के लिए अधिकतम प्रवेश आयु 70 वर्ष है
3. न्यूनतम किस्त - रुपये 1000, रुपये 3000, रुपये 6000 और रुपये 12000 क्रमशः मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मोड से।

4. न्यूनतम खरीद मूल्य - न्यूनतम वार्षिकी राशि सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सभी विकल्पों के लिए।

भुगतान विकल्प क्या हैं

1. मासिक (कारक 0.08)
2. त्रैमासिक (कारक 0.242)
3. अर्धवार्षिक (कारक 0.49)
4. प्रतिवर्ष

आवश्यक दस्तावेज़

1. समूह वार्षिकी प्रस्ताव प्रपत्र
2. व्यक्तिगत वार्षिकी प्रस्ताव प्रपत्र
3. व्यक्तिगत के.वाई.सी दस्तावेज़
4. भुगतान विवरण
5. वार्षिकी की आवृत्ति

एच डी एफ सी लाइफ

जीवन वार्षिकी

1. **एकल जीवन** - पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई भुगतान आवृत्ति के अनुसार, जब तक वार्षिकीदार जीवित है, बकाया में वार्षिकी का भुगतान किया जा सकता है।
2. **संयुक्त जीवन**- पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई भुगतान आवृत्ति के अनुसार बकाया में भुगतान की गई वार्षिकी, जब तक कि प्राथमिक या द्वितीयक वार्षिकीदार जीवित है

मृत्यु लाभ - कोई भी नहीं

अभ्यर्पण लाभ - कोई भी नहीं

जीवन वार्षिकी - एकल जीवन

यह विकल्प कैसे काम करता है?

1. गारंटीकृत वार्षिकी/पेंशन राशि वार्षिकीदार के जीवन भर के लिए देय है।
2. एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करके वार्षिकी खरीदी जाती है।
3. एक बार खरीदी गई वार्षिकी को जीवन भर की गारंटी है।
4. 15 साल के बाद वार्षिकी के निधन होने पर।
5. वार्षिकीधारक की मृत्यु पर, वार्षिकी समाप्त हो जाती है और आगे कोई लाभ देय नहीं होता है।

जीवन वार्षिकी - संयुक्त जीवन

यह विकल्प कैसे काम करता है?

1. वार्षिकी भुगतान प्राथमिक वार्षिकीकर्ता को देय वार्षिकी के 100% से शुरू होता है
2. अन्य वार्षिकीदार की मृत्यु के बाद जीवित रहने वाले को उसी वार्षिकी राशि मिलना शुरू हो जाता है।
3. एक वार्षिकी धारक की मृत्यु हो जाती है- जीवित वार्षिकी के लिए समान वार्षिकी राशि जारी रहती है।
4. माध्यमिक वार्षिकीधारी का निधन होने पर।
5. वार्षिकी समाप्त हो जाती है और कोई और लाभ देय नहीं होता है।
6. संयुक्त वार्षिकी एकमुश्त प्रीमियम का भुगतान करके खरीदी जाती है।
7. वार्षिकीदार/पॉलिसी धारक में पॉलिसी खरीदते समय द्वितीयक वार्षिकीदार शामिल होता है।
8. एक बार खरीदी गई वार्षिकी की जीवन भर की गारंटी है।

खरीद मूल्य की वापसी के साथ जीवन वार्षिकी

उत्तरजीविता लाभ

एकल जीवन - पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई भुगतान आवृत्ति के अनुसार बकाया में भुगतान की गई वार्षिकी, जब तक वार्षिकीदार जीवित है, लागु है।

संयुक्त जीवन - पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई भुगतान आवृत्ति के अनुसार बकाया में भुगतान की गई वार्षिकी, प्राथमिक या द्वितीय वार्षिकीदार के जीवित होने तक लागु है।

मृत्यु का लाभ

1. वार्षिकी के खरीद मूल्य का 100%
2. एकल जीवन - वार्षिकीदार की मृत्यु पर एकमुश्त देय।
3. संयुक्त जीवन - दो वार्षिकियों की मृत्यु के बाद एकमुश्त के रूप में देय।

अभ्यर्पण लाभ

खरीद मूल्य का 10%

भारतीय जीवन बीमा निगम

जीवन के लिए वार्षिकी

1. कर्मचारी को उसके जीवित रहने तक पेंशन मिलेगी।
2. उसके बाद कुछ भी देय नहीं होगा।
3. पेंशन का भुगतान एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 37 के अनुसार भारत की केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी का आनंद लेता है यानी पेंशन भुगतान की 100% सुरक्षा।

ROC के साथ जीवन के लिए वार्षिकी

1. कर्मचारी को उसके जीवित रहने तक पेंशन मिलेगी।
2. नामांकित व्यक्ति की मृत्यु पर खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा।

3. पेंशन का भुगतान तथा ROC एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 37 के अनुसार भारत की केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी का आनंद लेता है यानी पेंशन भुगतान की 100% सुरक्षा।

संयुक्त जीवन वार्षिकी

1. कर्मचारी को उसके जीवित रहने तक पेंशन मिलेगी।
2. पति/पत्नी को उसके जीवित रहने तक वार्षिकी की उतनी ही राशि मिलती रहेगी।
3. पेंशन का भुगतान तथा ROC एलआईसी अधिनियम 1956 की धारा 37 के अनुसार भारत की केंद्र सरकार की संप्रभु गारंटी का आनंद लेता है यानी पेंशन भुगतान की 100% सुरक्षा।